

## राजस्थान सरकार

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-३/१, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक: एफ ११ (१६३) आ.पि.व.आयोग / सान्याअवि / २०१७/ २७५२४ जयपुर, दिनांक २५ अक्टूबर, २०१८

## आदेश

राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी है।

अतः आयोग को दिनांक ३१.१०.२०१८ तक किराये के भवन में संचालित करने की सहमति उपरान्त आयोग में स्थित सभी प्रकार के सामान को उक्त तिथि से पूर्व विभाग के सुपुर्द किया जाने हेतु निम्न प्रकार से व्यवस्था की जाती है:-

क्र.सं.	मद का नाम	जहाँ दिया जाना है।
१.	२-कम्प्यूटर, १-प्रिन्टर एवं १-एसी	उप निदेशक (पिछड़ी जाति) के अधीन कमरा नम्बर-३०९
२.	आयोग की पत्रावलियाँ मय अलमारी	श्री भगवान दास सेवानी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, पिछड़ी जाति प्रशास्त्र
३.	टेबिल, कुर्सी, अल्मीरा, सोफा सैट एवं अन्य सामान	स्टोर कीपर श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी
४.	कैश सम्बन्धी बैंक पास बुक, पीड़ी खाते की पास बुक, कैश बुक इत्यादि	कैशियर श्री गोविन्द नारायण शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी

साथ ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग उक्त दिनांक से पूर्व आयोग से सम्बन्धित सभी प्रकार के दायित्वों यथा वेतन-भत्ते, मकान किराया आदि की पूर्ण करवाने व्यवस्था करे। उक्त दिनांक से उक्त आयोग को प्रस्थगित किया जाता है।

(कृष्ण कुपाल)

२७५२४-३२ आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: एफ ११ (१६३) आ.पि.व.आयोग / सान्याअवि / २०१७/ जयपुर, दिनांक २५ अक्टूबर, २०१८  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) को पालनार्थ।
- प्रितीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (आयोजना), मुख्यावास।
- संदर्भ सचिव, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग, ७२, शिवाजी नगर, सिविल लाईन्स, जयपुर।
- उप निदेशक (पिछड़ी जाति), मुख्यावास।
- स्टोर कीपर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आयोग के कार्यालय से सभी प्रकार का सामान संग्रहित कर निदेशालय में लाकर रिकार्ड में पंजीबद्ध कर उपरोक्तानुसार सम्बन्धित को तत्काल आवंटित करें।
- सम्बन्धित कर्मचारी श्री भगवान दास सेवानी, श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एवं श्री गोविन्द नारायण शर्मा।
- रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव